

।।कार्यालय, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)

पत्रांक संख्या- 446 / SWM(land Transfer) / 2022-23

दिनांक- 28/11/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी महोदय,
रूद्रप्रयाग

विषय-जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में कूड़ा निस्तारण स्थल के निर्माण हेतु 0.90 हे० वन भूमि को नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2995 / FP / UK / Others / 48185 / 2021, दिनांक 14/06/2022 के नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियां का निराकरण निम्नुसार है:-

क्र. सं.	आपत्तियां	निराकरण
1	प्रस्ताव कितने वर्षों हेतु लीज पर लिया गया है, इस हेतु लीज अवधि का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है एवं ऑन लाईन पैरा -A.1(x) में वन भूमि कितने वर्षों हेतु लीज पर ली गयी है इसकी अवधि अंकित नहीं की गयी है।	महोदय उक्त वन भूमि को नगर पंचायत अगस्त्यमुनि को पूर्ण हस्तान्तरण किया जाना है। अतः लीज की अवधि अंकित नहीं की गयी है।
2	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑनलाईन यथास्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्र (प्रपत्र-23, 23.1,23.2, Annexure-I & II) तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न एवं आनलाईन यथास्थान पर अपलोड कर दिये गये हैं।
3	प्रस्तावित निर्माण कार्य के ले- आउट प्लान के अनुसार परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त परियोजना की KML File में ले आउट प्लान को दर्शाते हुये पुनः संशोधित KML File यथा स्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	निर्माण कार्य का ले-आउट प्लान तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करते हुए यथा स्थान अपलोड कर दिया गया है साथ ही परियोजना की KML FILE में ले आउट प्लान को भी दर्शाते हुए संशोधित KML FILE यथा स्थान अपलोड कर दी गयी है।
4	प्रस्ताव में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (कूड़ा निस्तारण) हेतु प्रस्तावित है जिस हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08/04/2016 जिसकी छायाप्रति संलग्न है, की धारा 15 (म) के अनुसार 5 मिट्टिक टन प्रतिदिन से अधिक अपशिष्ट होने पर ही अपशिष्ट प्रसंस्करण, शोधन एवं निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिए स्वास्थ्यकर भरण स्थल सहित राज्य प्रदूषण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राधिकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन आपेक्षित है। महोदय वर्तमान में नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में लगभग 2 मिट्टिक टन अपशिष्ट उत्पादित होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन डीपीआर की Executive Summary की छायाप्रति अवलोकन हेतु संलग्न है। अतः उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति आपेक्षित नहीं है।

5	प्रस्ताव के ऑन लाईन फार्म ए के पार्ट-1 के पैरा-E में प्रस्तावित परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आपके द्वारा ऑन लाईन 50 स्थाई रोजगार की सूचना भरी गई है। अतः इस सम्बन्ध में सूचित किया जाय कि यथा प्रश्नगत परियोजना के क्रियान्वयन में 50 लोगों को आपके द्वारा स्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। अन्यथा सही सूचना भरी जाय।	प्रस्ताव के ऑन लाईन फार्म ए के पार्ट-1 के पैरा-E में प्रस्तावित परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में त्रुटिवश 50 स्थाई रोजगार की सूचना भरी गयी है। जिसे ऑन लाईन फार्म ए के पार्ट-1 के पैरा-E में संशोधित कर 7 स्थाई एवं 10 अस्थायी रोजगार कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव के ऑनलाइन पार्ट-I के पैरा-K में वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित सूचना अपलोड नहीं की गयी है।	प्रस्ताव के ऑनलाइन पार्ट-I के पैरा-K में वन अधिकारी अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रपत्र (प्रपत्र-23, 23.1, 23.2, Annexure-I & II) तैयार कर प्रपत्र अपलोड कर दिये गये हैं।
7	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश मान सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रपत्र संख्या-15.5 व 15.4 तैयार कर ऑनलाइन उपलोड कर दिया गया है।

अतः महोदय आपत्तियों का निस्तारण कर मूल प्रस्ताव व प्रस्ताव की 03 प्रति महोदय सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत अगस्त्यमुनि

प्रतिलिपि-: अपर प्रमुख वन संरक्षक, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत अगस्त्यमुनि

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 861]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2016/चैत्र 19, 1938

No. 861]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2016/CHAITRA 19, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2016

का.आ. 1357(अ).—ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 का प्ररूप भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि.451 (अ) तारीख 3 जून, 2015 को भारत के राजपत्र भाग II, खंड-3, उप खंड (i) में उसी तारीख को प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उनसे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000 को अधिकांत करते हुए उक्त अधिसूचना के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए थे।

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 3 जून, 2015 को उपलब्ध कराई गई थीं;

निर्धारित अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आपत्तियों तथा टिप्पणियों पर केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया था;

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमणों से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(ग) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं या उपचार प्रौद्योगिकियों के लिए विहित पर्यावरणीय मानकों और सन्निधियों का पुनर्विलोकन करना और जब कभी भी अपेक्षित हो, उनको अद्यतन करना;

(घ) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं या उपचार प्रौद्योगिकियों के लिए विहित पर्यावरणीय मानकों के कार्यान्वयन को वर्ष में कम से कम एक बार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के माध्यम से पुनर्विलोकन और उनके द्वारा मॉनीटर किए गए आंकड़ों का संकलन करना;

(ङ.) ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और उपचार के लिए किसी नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के प्रस्तावों का पुनर्विलोकन करना और छः माह के अंदर उनके लिए निष्पादन मानक, उत्सर्जन मानदंड विहित करना;

(च) स्थानीय निकायों द्वारा इन नियमों के कार्यान्वयन को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के माध्यम से मॉनीटर करना;

(छ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इन नियमों के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करना तथा यह रिपोर्ट लोक अधिकार क्षेत्र में भी रखी जाएगी;

(ज) प्रतिदिन 5 टन से अधिक ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने वाली सुविधाओं के विभिन्न आकारों के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं की बाहरी सीमाओं से किसी आवासीय, वाणिज्यिक या किसी अन्य संनिर्माण संबंधी क्रियाकलाप को प्रतिबंधित करने वाले बफर जोन को बनाए रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रकाशित करना;

(झ) इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए ठोस अपशिष्ट के शहरी स्थानीय निकायों के समर्थ बनाने के लिए प्रसंस्करण और निपटान के पर्यावरणीय पहलुओं पर समय-समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत प्रकाशित करना; और

(ञ) अपशिष्ट के अंतरराज्यीय संचलन पर राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना ।

15. स्थानीय निकायों, और जनगणना नगरों की ग्राम पंचायतों तथा शहरी समूहों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.- (1) स्थानीय निकाय और पंचायतें :-

(क) राज्य नीति और रणनीति की अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंध योजना तैयार करना और उसकी एक प्रति राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अभिकरण से उसे अनुमोदित कराना;

(ख) मलिन बस्तियों तथा अनौपचारिक बसावटों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर आवासीय परिसरों सहित सभी घरों से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का द्वार-द्वार के संग्रहण की व्यवस्था करना। बहु मंजिलों भवनों, बड़े वाणिज्यिक परिसरों, मॉलों, आवासीय परिसरों इत्यादि से अपशिष्ट का संग्रहण प्रवेश द्वार या किसी अन्य अभिहित स्थान किया जा सकता है;

(ग) कूड़ा चुनने वालों/अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के संगठनों को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करना और द्वार-द्वार जाकर अपशिष्ट संग्रह करने सहित ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में इनकी भागीदारी को सुकर बनाने के लिए इन प्राधिकृत चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के एकीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित करना;

(घ) स्वयं सहायता समूह बनाने को सुकर बनाना, पहचान पत्र उपलब्ध कराना और तदुपरांत घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करने सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में एकीकरण को प्रोत्साहन देना;

(ङ.) इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के उपबंधों को समाविष्ट करते हुए उपविधियां बनाना और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(द) क्रमवर्ती प्रसंस्करण सुविधा या सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधाओं या द्वितीयक भंडारण सुविधा को गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को परिवहन करना;

(ध) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन समय-समय पर यथासंशोधित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार करना;

(न) समुदाय सुविधा के आस-पास दुर्गंध के नियंत्रण और स्वास्थ्य रक्षक स्थितियों के अनुरक्षण के अध्यक्षीन समुदाय स्तर पर घरेलू कंपोस्टिंग, बायोगैस उत्पादन, अपशिष्ट के विकेंद्रित प्रसंस्करण में समुदायों को अंतर्बलित करना;

(प) दो वर्षों के भीतर रासायनिक खाद के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना और स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित सभी उद्यानों, बगीचों में कंपोस्ट का प्रयोग करना और जहां कहीं संभव हो इसके अधिकारिता के अधीन अन्य स्थानों पर भी ऐसा करना अनौपचारिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण क्षेत्र द्वारा की जाने वाली पुनर्चक्रण पहलों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा सकते हैं;

(फ) उपयुक्त प्रौद्योगिकी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रौद्योगिकियां भी हैं, को अंगीकृत करते हुए और समय-समय पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ठोस अपशिष्ट के विभिन्न अवयवों के उचित उपयोग के लिए स्वयं या निजी क्षेत्र के सहभागी या किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबंधित अवसंरचना के संनिर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण को सुकर बनाना: परिवहन लागत और पर्यावरणीय आघात को न्यूनतम करने के लिए विकेन्द्रीयकृत प्रसंस्करण को अधिमान्यता देना जैसे-.

(क) जैव-मिथैनिकरण, सूक्ष्म जैविक कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, अनारोबिक डाईजेशन या जैव निम्नीकरणीय-अपशिष्टों के जैव स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य समुचित प्रसंस्करण;

(ख) अपशिष्ट के दहनशील भाग के लिए अवशिष्ट जनित ईंधन सहित अपशिष्ट से ऊर्जा प्रक्रियाएं या अपशिष्ट आधारित विद्युत प्लांटों या सीमेंट भट्टियों को फीड स्टॉक के रूप में आपूर्ति;

(ब) इन नियमों के अधीन विहित रीति से अवशेष अपशिष्टों के निपटान के लिए अनुसूची-1 के अनुसार स्वास्थ्यकर भरण स्थलों और आनुवंशिक अवसंरचना का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से करना;

(भ) वार्षिक बजट में पूंजी निवेश के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए निधियों का पर्याप्त उपबंध करना और यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय निकाय के वैवेकिक कृत्यों के लिए निधियां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा इन नियमों के अनुसार स्थानीय निकाय के अन्य बाध्यकारी कृत्यों के लिए आवश्यक निधियों की अपेक्षा पूर्ण करने के पश्चात् की आबंटित की जाएं;

(म) प्ररूप-1 में अपशिष्ट प्रसंस्करण, शोधन या निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिए प्राधिकार अनुदत्त करने के लिए आवेदन करना जिसके अंतर्गत यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्वास्थ्यकर भरण स्थल सहित प्रतिदिन 5 मीट्रिक टन से अधिक अपशिष्ट हो;

(य) प्राधिकार की विधिमान्यता समाप्त होने से कम से कम साठ दिन पूर्व प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन करना;

(यक) उत्तरवर्ती वर्ष के 30 अप्रैल या उसके पूर्व आयुक्त या निदेशक, नगरपालिका प्रशासन को या प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप-4 में वार्षिक रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करना;

(यख) वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव या ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजी जाएगी;

(यग) कार्मिकों जिसके अंतर्गत संविदा कार्मिकों और पर्यवेक्षकों भी हैं, को पृथक किए गए अपशिष्ट के द्वार-द्वार से संग्रहण के लिए और प्रसंस्करण या निपटान सुविधा को प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन के दौरान अमिश्रित अपशिष्ट के संबंध में प्रशिक्षण;

(यघ) यह सुनिश्चित करना कि प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात् वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, बरसाती, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के प्रहस्तन में लगे सभी कार्मिकों को उपलब्ध कराए और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए;

(यड.) किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मार्केट काम्पलैक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व सुनिश्चित करने की भवन योजना में पृथक किए गए अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए;

EXECUTIVE SUMMARY

PROJECT TECHNICAL DESIGN:

Augustmuni Nagar Panchayat Population (2011) – **7367**, Daily floating population – **1105** (Average)

Design Population (2036) – **11398** (Approx.),

Current solid waste generation – **2.6 TPD** Waste generation design year – **4.6 TPD**

Proposed municipal waste Management system of Augustmuni:

Storage: 100 % source segregation. Colour coded dustbins to 2000 households + 40 community bins + 2 decentralized recycling centres + 30 designer bins along roadside

Collection: 100 % door to door collection from household & commercial areas. Additional 1 pick up vehicle type tippers + 1 tractor trolley for drain cleaning

PPE : personal protective equipment's for recommended 32 safaiKarmacharis

Processing: *Wet waste* - Initial segregation, presorting, windrows 30 days then maturation then sorting by Box composting method along with aeration. Compost pad, bagging & storage shed provided along with dry waste segregation & processing shed

Dry waste: Sorting into different material streams & volume reduction by vertical compactor. Rest stored & to be sold to recyclers. Log to be maintained of all activities.

Disposal: Sanitary landfill for inert materials and rejects for processing for 20 year period along with leachate collection tank.

Environmental sustainability & IEC plan has been recommended in respective chapters.